न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 181/09 (वाद)
GCMS No. : 2009/00085

अनवान

1. श्री पनसिंह पिता ऐमानसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, पोस्ट–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. श्री इन्दरसिंह पिता देवीसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री चतरसिंह पिता बदनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री भानसिंह पिता बदनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती सज्जनबाई पिता वक्तावरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०) मृतक
5. श्री खुमाणसिंह पिता वक्तावरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री मोहनसिंह पिता दौलतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
7. श्री शम्भुसिंह पिता दौलतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती लहरबाई पत्नी दौलतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०) मृतक
9. श्री शंकरसिंह पिता उम्मेदसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
10. श्री कानसिंह पिता उम्मेदसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

11. श्री भंवरबाई पत्नी उम्मेदसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
12. श्री गोविन्द पिता लछमनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
13. श्री गुमानसिंह पिता रोडसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
14. श्रीमती सज्जनबाई पत्नी रोडसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
15. श्री गजेसिंह पिता भभुतसिंह जी जाति राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
16. श्री भीमसिंह पिता भभुतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
17. श्री नाहरसिंह पिता भभुतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
18. श्रीमती संतोकबाई पत्नी भभुतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मावली, जिला उदयपुर (राज0)
21. उप पंजीयक अधिकारी महोदय, उपपंजीयक कार्यालय मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. श्री पटवारी, पटवार हल्का बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. श्री किशनसिंह पिता ऐमानसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

23/1 श्री विजयसिंह पिता किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

23/2 श्री भवानीसिंह पिता किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

23/3 कमलाकुवंर पिता किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

23/4 कैलाशकुवंर पिता किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

23/5 श्रीमती प्रेमबाई पत्नी किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

24. श्री गोर्दनसिंह पिता ऐमानसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

25. श्रीमती रतनाबाई बेवा गमेरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

26. श्रीमती कंकुबाई पुत्री ऐमानसिंह पत्नी केसरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

27. श्रीमती लहरबाई पुत्री ऐमानसिंह पत्नी मानसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–महूडा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

28. श्रीमती सोहनकुवंर पुत्री ऐमानसिंह पत्नी जसवंतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–चिकलवास, उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)

29. श्रीमती सवागकुवंर पुत्री ऐमानसिंह पत्नी मनोहरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–चिकलवास, उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता वादी।
2. श्री राजेश दाधीच, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. राजपेरोकार मावली, प्रतिवादी संख्या 19 से 22

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 17.12.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसोलया की मादडी तह. मावली में पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमिया स्थित है जिसके साबिक खेत खसरा नम्बर 3/3 गलेरा रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा है जो जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट उदयपुर सम्वत् 2001 में स्वर्गीय (1) गरधारी सिंह पिता जीवनसिंह के 1/4, (2) बदनसिंह पिता अमरसिंह 1/12, (3) दौलतसिंह पिता अमरसिंह 1/12, (4) उम्मेदसिंह पिता अमर सिंह 1/12, (5) अमानसिंह पिता हमेरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

1/16, (6) लछमनसिंह पिता लालसिंह 1/16, (7) रोड सिंह पिता माधुसिंह जी 1/8, (8) मुतबन्ना सरदारी बेवा फुलसिंह जी के 1/4 हिस्से से दर्ज हैं।

2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान इस प्रकार है :—

(1) गरधारी सिंह (फौत) पिता जीवनसिंह
- देवीसिंह
  - इन्दरसिंह (पुत्र)
  - मेहताब कुंवर पत्नी (फौत)

(2) अमरसिंह
- बदन सिंह
  - वक्तावरसिंह फौत
    - सज्जन बाई
    - खुमाणसिंह पुत्र
  - चतरसिंह पुत्र
- दौलत सिंह
- उम्मेद सिंह
  - भानसिंह पुत्र

(3) ऐमानसिंह पिता हमेरसिंह
- पनसिंह वादी

(4) लछमणसिंह पिता लालसिंह
- गोविन्द सिंह पुत्र

(5) रोडसिंह पिता माधु सिंह
- गुमानसिंह
- सज्जनबाई पत्नी

(6) सरदारीबाई पत्नी फुलसिंह
- भभुतसिंह गोद पुत्र
  - गजेसिंह
  - भीमसिंह
  - नाहरसिंह
  - संतोक कुंवर पत्नी

3. यह कि सभी खातेदार सम्वत् 2001 की जमाबन्दी में दर्ज है वे सभी फौत हो चुके है उनके मरने के बाद उनके खाते में जमीन वारिसान के नाम आनी चाहिए थी मुझ वादी के स्वर्गीय पिता ऐमानसिंह का 1/16 वां हिस्सा खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

हक से दर्ज था। वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया उनके मरने के बाद मै उनका इकलौता पुत्र हूं जमीन मेरे नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है जो वादी मेरे स्वर्गीय पिता एमानसिंह जी के हिस्से की जमीन 1/16 वा भाग अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हुं। उक्त वर्णित जमीन वर्तमान में सरकार के नाम दर्ज हो गई है जो गलत है मैं वादी उक्त जमीन के वर्तमान आराजी नम्बर 1585/490 रकबा 3 बीघा है जो मैं काबिज हो काश्त कर रहा हूं। जो मेरे खाते कराई जावे। मै वादी इस आशय की घोषणा कराने का अधिकारी हूं कि आराजी नम्बर 1585/490 का खातेदार काश्तकार हुं। वाद में दर्ज जमीन पर मैं वादी काबिज हो काश्त कर रहा हूं लेकिन जमीन सेहवन से सरकार के नाम दर्ज हो जाने से मेरे पिता जी के मरने के बाद मेरे नाम दर्ज नहीं हुए है जबकि मेरे पिता जी का नाम खातेदारी हक से दर्ज थी मेरे नाम खातेदारी हक से दर्ज नही होने से अब प्रतिवादीगण तहसीलदार, पटवारी मुझे बेदखल करने पर आमादा है तथा जमीन को दुसरे व्यक्ति को आंवटन करने पर आमादा है इसलिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराना जरूरी है कि वे जमीन को अन्य व्यक्ति को आंवटित नहीं करें। वादी को वेदान्त नहीं करें। वादग्रस्त जमीन का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं हुआ है जो कराया जावे, क्योंकि जमीन की बुआई व हकाई कराने समय विवाद पैदा होता हैं। इसलिए बंटवाडा कराया जावें।

4. यह कि वाद कारण 1 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने जमीन से बेदखल करना चाहा तथा धमकी दी कि तुम्हे हरा देगे जमीन सरकारी है। मैने विरोध किया पास पडोस वालो ने भी समझाया, उस समय तो चले गये आज से 2 माह पूर्व आये तथा कहा कि 7 दिन में जमीन खाली कर देना, नही तो पुलिस फोर्स से कब्जा करा देगे। गत एक सप्ताह से रोजाना आ रहे है तथा हराने पर आमादा है वाद कारण उत्पन्न होकर जारी हैं।

5. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा की जावे कि वाद में वर्णित जमीन का खातेदार कायम कर घोषित किया जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1585/490 मैं वादी के हिस्से वाली जमीन पर वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करें। यह कि पक्षकारान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

मध्य से जमीन का बंटवाडा करा कर वादी के हिस्से की जमीन का राजस्व रिकार्ड में स्वतन्त्र रूप से नाम दर्ज किया जावें। विकल्प में निवेदन है कि दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण उस जमीन पर कब्जा कर लेवे या पाया जावे तो पुनः वादी को कब्जा दिलाया जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2, 3, 5 से 7, 9 से 18, 23/1 से 23/5, 24 से 29 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 4, 8 फौत होने से इनके नाम तर्क किया जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादी के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और मुझ प्रतिवादी ने वादी को कोई धमकी नहीं दी हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद वर्णितानुसार डिक्री फरमाया जावें। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री पनसिंह स्वयं वादी का शपथ पत्र पेश किया। प्रकरण में वादी द्वारा दस्तावेज मेवाड सेटलमेन्ट विभाग की नकल प्रदर्श 1, नकल पी. 14 प्रदर्श 2, न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 240/07 वाद के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2008 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 3, नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श 4, पोस्टल रसीद प्रदर्श 5 प्रदर्श करवाये गये। पीडब्ल्यू 1 से जिरह राजपेरोकार मावली से सम्पन्न करवाई गई।

7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि मौजा आसोलिया की मादडी में वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 3/3 गलेरा रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा है जो जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट उदयपुर सम्वत् 2001 में स्वर्गीय (1) गरधारी सिंह पिता जीवनसिंह के 1/4, (2) बदनसिंह पिता अमर सिंह 1/12, (3) दौलतसिंह पिता अमर सिंह 1/12, (4) उम्मेद सिंह पिता अमर सिंह 1/12, (5) अमान सिंह पिता हमेर सिंह 1/16, (6) लछमनसिंह पिता लाल सिंह 1/16, (7) रोडसिंह पिता माधुसिंह जी 1/8, (8) सरदारी बेवा फुलसिंह जी के 1/4 हिस्से से दर्ज होकर पक्षकारान का सजरा खानदान वाद पत्र में वर्णित हैं। सभी खातेदार सम्वत् 2001 की जमाबन्दी में दर्ज है वे सभी फौत हो चुके है तथा उनके पश्चात् उनके खाते की जमीन वारिसान के नाम आनी चाहिए थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pundadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

तथा वादी के स्व. पिता श्री ऐमानसिंह का 1/16 वां हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज था, जिनका वादी एकमात्र पुत्र होकर उक्त जमीन का 1/16 वां भाग अपने नाम पर करवाने का अधिकारी है किन्तु उक्त जमीन वर्तमान में सरकार के नाम दर्ज हो गई है जो कि राजस्व अधिकारियों द्वारा कारित की गई त्रुटि के कारण मुझ प्रार्थी के बजाए सरकार के खातेदारी दर्ज कर दी गई हैं। वादी वर्तमान में आराजी नम्बर 1585/490 रकबा 3 बीघा पर काबिज हो काश्त कर रहा है, जो वादी के खाते कराई जाने की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। उक्त जमीन सरकार के नाम पर दर्ज हो जाने से वादी के पिता के पश्चात् वादी के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई तथा जिसका फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण तहसीलदार, पटवारी वादी को बेदखल करने पर आमादा एवं जमीन दूसरे व्यक्ति को आंवटन करने पर आमादा है, इस बाबत् वादी द्वारा विधिवत् रूप से बंटवाडे हेतु एवं उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं।

8. यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र में मुख्य दाद प्रतिवादी संख्या 19, से 21 से चाही गई जिनके द्वारा उक्त वाद पत्र में किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ही उक्त वाद में की गई है जिससे की यह स्वतः सिद्ध हो जाता है प्रतिवादी संख्या 19 से 21 के पास उनके पूर्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि बाबत् किसी प्रकार का जवाब नहीं है तथा उक्त पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध है कि उक्त भूमि पर वादी का कब्जा होकर पूर्व में वादी के पिता एमानसिंह के खातेदारी दर्ज रही है तथा तत्पश्चात् सेटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि के कारण उक्त भूमि वादी के पिता के बजाए सरकार के नाम दर्ज कर ली गई तथा वादी के पिता के स्व. एमानसिंह के वारिसान होने एवं उक्त भूमि पर वादी का कब्जा होने से वादी अपने हक एवं हिस्से की भूमि अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। उक्त प्रकरण में वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये जिन दस्तावेजों को वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रदर्श अंकित किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अपने बयान दिये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत मुख्य परिक्षा के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई प्रतिप[illegible] दौरान ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही आई जिससे की [illegible] वाद पत्र [illegible] अभिवचन का खण्डन होता हो ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज का कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया इस कारण अखण्डनीय साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद हैं। वादी द्वारा अपने पिता के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी के लिए वाद प्रस्तुत किया गया चूंकि वाद सरकार के विरूद्व होने से धारा 80 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

9. यहकि उक्त प्रकरण में एक प्रतिवादी द्वारा ही सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का वाद पत्र का विरोध करते हुए जवाब नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) कायम नहीं किये गये और पत्रावली वास्ते साक्ष्य मुकरर की गई जिस पर वादी स्वयं परिक्षित हुआ। साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में कोई गवाह पेश नहीं हुआ ऐसी स्थिति में पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित अभिवचन को अपनी पुख्ता दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य में प्रमाणित किया गया। लिहाजा निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादी के पक्ष में डिक्री पारित फरमायी जावें।

10. प्रतिवादी संख्या 19 से 21 की ओर से राजपेरोकार द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील कार्यालय में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड की जांच की गई। दस्तावेजी साक्ष्य से यह जाहिर आया कि साबिक आराजी नम्बर 3/3 गलेरा रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि मेवाड सेटलमेन्ट सम्वत् 2001 का वर्तमान जमाबन्दी ग्राम आसोलिया की मादडी में आराजी नम्बर 1585/490 जमाबन्दी में दर्ज नहीं हैं। मूल आराजी संख्या 490 दर्ज हैं। जिसका रकबा कुल 11 बिस्वा दर्ज हैं। अतः रकबा एवं खसरा नम्बरो का मिलान नहीं होने से उक्त प्रकरण खारिज योग्य हैं।

11. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की लिखित बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम आसोलिया की मादडी पटवार हल्का बोयणा तह. मावली की साबिक आराजी नम्बर 3/3 गलेरा रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वादी द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होना बताकर हाल आराजी नम्बर 1585/490 रकबा 3 बीघा भूमि पर कब्जा होना बताया। उक्त भूमि को खातेदारी घोषणा देने के लिए उक्त वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि साबिक आराजी नम्बर 3/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर क्या बने ? यह दावें में स्पष्ट नहीं किया गया, ना ही वादी द्वारा ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त साबिक आराजी नम्बर के हाल आराजी नम्बर क्या बने है। राजपेरोकार द्वारा भी अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा आराजी नम्बर 1585/490 रकबा 3 बीघा भूमि खातेदारी कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है परन्तु ग्राम आसोलिया की मादडी में ऐसा कोई भी खसरा नहीं हैं। ग्राम आसोलियो की मादडी में आराजी नम्बर 490 रकबा 11 बिस्वा अंकित हैं जो अन्य खातेदारो के नाम दर्ज हैं। वादी द्वारा खसरा गिरदावरी पेश की गई है वह ग्राम आसोलियो की मादडी की नहीं होकर ग्राम बोयणा की है जो चारागाह भूमि से सम्बन्धित हैं। चारागाह भूमि में कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इस प्रकार वादी द्वारा ना तो यह साबित करवाया गया है कि साबिक आराजी नम्बर 3/3 के हाल आराजी नम्बर क्या बने तथा ना ही वादी द्वारा यह साबित करवाया गया कि वादी का कब्जा कौनसे गांव की किस आराजी पर हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सिद्व नहीं पाये जाने एवं चारागाह भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री पनसिंह पिता ऐमानसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, पोस्ट–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. श्री इन्दरसिंह पिता देवीसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री चतरसिंह पिता बदनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री भानसिंह पिता बदनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती सज्जनबाई पिता वक्तावरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०) मृतक
5. श्री खुमाणसिंह पिता वक्तावरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री मोहनसिंह पिता दौलतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
7. श्री शम्भुसिंह पिता दौलतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती लहरबाई पत्नी दौलतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०) मृतक
9. श्री शंकरसिंह पिता उम्मेदसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
10. श्री कानसिंह पिता उम्मेदसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
11. श्री भंवरबाई पत्नी उम्मेदसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

12. श्री गोविन्द पिता लछमनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
13. श्री गुमानसिंह पिता रोडसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
14. श्रीमती सज्जनबाई पत्नी रोडसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
15. श्री गजेसिंह पिता भभुतसिंह जी जाति राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
16. श्री भीमसिंह पिता भभुतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
17. श्री नाहरसिंह पिता भभुतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
18. श्रीमती संतोकबाई पत्नी भभुतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मावली, जिला उदयपुर (राज0)
21. उप पंजीयक अधिकारी महोदय, उपपंजीयक कार्यालय मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. श्री पटवारी, पटवार हल्का बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. श्री किशनसिंह पिता ऐमानसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

23/1 श्री विजयसिंह पिता किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

23/2 श्री भवानीसिंह पिता किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

23/3 कमलाकुवंर पिता किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

23/4 कैलाशकुवंर पिता किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested

23/5 श्रीमती प्रेमबाई पत्नी किशनसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

24. श्री गोर्दनसिंह पिता ऐमानसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
25. श्रीमती रतनाबाई बेवा गमेरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–आसोलिया की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
26. श्रीमती कंकुबाई पुत्री ऐमानसिंह पत्नी केसरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–बोयणा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
27. श्रीमती लहरबाई पुत्री ऐमानसिंह पत्नी मानसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–महूडा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
28. श्रीमती सोहनकुवंर पुत्री ऐमानसिंह पत्नी जसवंतसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–चिकलवास, उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)
29. श्रीमती सवागकुवंर पुत्री ऐमानसिंह पत्नी मनोहरसिंह जी जाति–राव, आयु–वयस्क, निवासी–चिकलवास, उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 181/09 (वाद)
GCMS No. : 2009/00085

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:42:53 IST
Reason: SelfAttested